

प्रपत्र संख्या 6

Subject to valid registration/  
valid renewal under  
society registration Act. 1860



नोट: रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र के नवीनीकरण के लिए आवेदन अधिनियम की धारा-52 की उपधारा (5) के अधीन यथानिर्धारित विधिमान्यता अवधि के कम से कम 60 दिन पूर्व निर्धारित प्रपत्र संख्या-4 पर आवेदन किया जाना अनिवार्य है।

# रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र का नवीनीकरण

दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग, उत्तर प्रदेश

(उत्तर प्रदेश निःशक्त व्यक्तियों के लिए संस्थाओं की रजिस्ट्रीकरण नियमावली, 2006 के अधीन स्वीकृत)

प्रमाण-पत्र संख्या : 1430/RN/04/2023-24

दिनांक : 29-05-2023

प्रमाणित किया जाता है कि आर्मी वेलफेयर रजुकेशन सोसाइटी (AWES) (संस्था का नाम)

प्रमाण-पत्र संख्या 4785/2018-19..... दिनांक 13-04-2018..... द्वारा दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग में रजिस्ट्रीकृत थी। रजिस्ट्रीकरण दिनांक 12-04-2023 को समाप्त होने वाला है/हो गया है।

एतद्द्वारा यह प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त रजिस्ट्रीकरण का नवीनीकरण अग्रतर पाँच वर्ष की अवधि के लिए किया जा रहा है और वह दिनांक 11-04-2028 तक विधिमान्य रहेगा।

यह नवीनीकरण प्रमाण-पत्र दिनांक 29..... (माह) 05..... (सन्) 2023..... को हस्ताक्षरित किया जा रहा है।

Prepared by

*[Signature]*



सक्षम प्राधिकारी/निदेशक

दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ